१९५

संख्या–28 /सा0प्रशा0/2004.

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून: दिनांक: ०९ फरवरी, 2004

विषयः– स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–2588/एक–4/सा0प्रशा0/2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 एवं पत्र संख्या–यू0ओ0–150/एक–4/2002, दिनांक 26 सितम्बर, 2002 जिनके अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गये हैं, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि जनपद स्तरों पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। अतः उक्त स्थिति के निराकरण हेतु शासन द्वारा विचारोपरान्त स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया को सरलीकरण किए जाने तथा समयबद्ध आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाने के उद्देश्य से निम्न निर्णय लिए गये हैं :–

1– स्थायी निवास प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या– 2588/एक–4/सा0प्रशा0/2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार निर्गत होगा।

2– स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने संबंधी आवेदन पत्र शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2001 की संलग्नक–1 पर दिए गये प्रारूप पर स्थानीय लेखपाल को उनके मुख्यालय पर अथवा तहसीलदार को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– लेखपाल अथवा तहसीलदार, जैसी भी स्थिति हों, के द्वारा इस निमित्त बनाये गये रजिस्ट्रर पर इस प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जायेगा तथा इसकी प्राप्ति रसीद संबंधित आवेदक को दी जायेगी, जिसमें प्रमाण पत्र आवेदक को दिए जाने का भी उल्लेख होगा।

4– स्थानीय लेखपाल अपनी आख्या कारण सहित तहसीलदार को अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। तथा इसकी प्रविष्टि अपने अभिलेखों में करेंगे।

5– तहसीलदार अधिकतम एक सप्ताह के अन्तर्गत अपने आख्या संबंधित उप जिलाधिकारी को भेजेंगे। उचित होगा कि तहसीलदार इस संबंध में सप्ताह का एक दिवस प्रख्यापित कर लें, जिससे कि आवेदन कर्ता उस दिन उस समय उपस्थित होकर यदि कोई भ्रांतियां हैं , तो उनको दूर कर सकें।

6— तहसीलदार से आख्या प्राप्त होने पर संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा अधिकतम दो दिवस के अन्तर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा। यदि किसी आवेदक को स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना सम्भव न हो तो कारण सहित संबंधित आवेदन को सूचित कर दिया जायेगा।

7— जिलाधिकारी उपजिलाधिकारी के आदेश की विवेचना कर सकते हैं, तथा इस संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

8— स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जहां आवश्यकता हो, उप जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर न्याय पंचायत क्षेत्र में कैम्प लगाने की कार्यवाही भी करें।

9— उप जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक बार ऐसे प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों के रजिस्ट्रर का निरीक्षण करेंगे तथा लम्बित आवेदक पत्रों की समीक्षा करेंगे।

10— जिलाधिकारी द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि दूरस्थ क्षेत्रों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आने वाले निवासियों को प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने और उसे प्राप्त करने के लिए बार-बार लेखपाल/तहसीलदार/उपजिलाधिकारी के पास न जाना पड़ें ।

11— समस्त औपचारिकतायें अनिवार्य रूप से एक ही बार में पूर्ण करा ली जाय, और निर्धारित तिथि पर आवेदक को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सूचना अनिवार्य रूप से उसी समय प्रदान कर दी जाय।

12— संबंधित जिलाधिकारी इस संबंध में यदि उन्हें जनपद में कोई विशेष कठिनाई आ रही हों तो उपरोक्त समय सीमा के अन्तर्गत ही उसका निराकरण करने हेतु आवश्यक उपाय करें।

2— कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव।

संख्या— 28 (1)/सा0प्रशा0/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(गोविन्द बल्लभ ओली)
अनु सचिव।